


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

स्पैम कॉल करने वाले स्पैमर्स पर कार्रवाई करते हुए, TRAI ने हाल के दिनों में कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिणामस्वरूप, पिछले दो हफ्तों में, एक्सेस प्रोवाइडर्स ने 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, 2018 (TCCCP-2018) के तहत 2.75 लाख से अधिक SIP DID/मोबाइल नंबर/टेलीकॉम संसाधनों को डिस्कनेक्ट कर दिया है।

नई दिल्ली, 3 सितंबर, 2024 - TRAI ने स्पैम कॉल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिसमें वर्ष 2024 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स (UTMs) के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, TRAI ने 13 अगस्त 2024 को सभी एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स (ASPs) को सख्त निर्देश जारी किए थे। TRAI ने एक्सेस प्रोवाइडर्स को तुरंत SIP, PRI या अन्य टेलीकॉम संसाधनों का उपयोग करके अनरजिस्टर्ड प्रेषकों या टेलीमार्केटर्स से प्रमोशनल वॉइस कॉल बंद करने का निर्देश दिया है। इन संसाधनों का दुरुपयोग करने वाला कोई भी UTM गंभीर परिणामों का सामना करेगा, जिसमें दो साल तक के लिए सभी टेलीकॉम संसाधनों का डिस्कनेक्ट होना और ब्लैकलिस्टिंग शामिल है।

इन निर्देशों के परिणामस्वरूप, एक्सेस प्रोवाइडर्स ने स्पैमिंग के लिए टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं और 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और 2.75 लाख से अधिक SIP DID/मोबाइल नंबर/टेलीकॉम संसाधनों को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इन कदमों से स्पैम कॉल को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। TRAI सभी हितधारकों से निर्देशों का पालन करने और एक स्वच्छ और अधिक कुशल टेलीकॉम पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने का आग्रह करता है।


3/9/24
(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भाद्विप्रा